[redacted]

पत्रांक-- 14/विविध.--9/15 - 997(14)

56

बिहार सरकार,

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

यशस्पति मिश्र
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
सभी सिविल सर्जन।

पटना, दिनांक- 28-8-15

विषय:-राज्य सरकार के कर्मियों के चिकित्सा विपत्रो को प्रतिहस्ताक्षरित करने के संबंध में मार्ग दर्शन।

प्रसंग:-स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-946(14) दिनांक-14.08.15 के कंडिका 8 के संबंध में दिशा निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार राज्य सरकार के कर्मियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से प्रतिपूर्ति हेतु नई व्यवस्था का संकल्प 946(14) दिनांक-14.08.15 जारी किया जा चुका है। संकल्प की कंडिका- (6) में रू0 50,000/-(पचास हजार) से ऊपर के चिकित्सा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच करने की शक्ति सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों को दी गई है।

अतः इसके अनुपालन में सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में औषधि विभाग एवं शल्य चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में रहेगे। आवश्यकतानुसार अधीक्षक चाहे तो अन्य विभागाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं। त्रिसदस्यीय समिति द्वारा सप्ताह में दो बार बैठक कर विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमान्यता की जॉच कर संबंधित सरकारी सेवक के प्रशासी विभाग को लौटायेंगे।

रू0 50,000/-(पचास हजार) से ऊपर के चिकित्सा विपत्रों की अनुमान्यता, शुद्धता की जॉच/प्रतिहस्ताक्षरित करने का दायित्व सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों को जिला/प्रमंडलवार निम्नवत् होगा :-

1. PMCH अधीक्षक-पटना प्रमंडल का सिर्फ पटना जिला।
2. NMCH अधीक्षक-पटना प्रमंडल के अन्य जिले पटना जिला को छोडकर।
3. ANMCH अधीक्षक गया-मगध प्रमंडल के सभी जिले।
4. JLNMCH अधीक्षक भागलपुर- भागलपुर मुंगेर एवं पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलें।
5. DMCH अधीक्षक दरभंगा- दरभंगा एवं कोशी प्रमंडल के सभी जिले।
6. SKMCH अधीक्षक मुजफ्फरपुर-तिरहुत एवं सारण प्रमंडल के सभी जिले।

तत्सबंधी आदेश ज्ञापांक 1182(14) दिनांक 02.6.06 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

d/r/ 2015 letter rajesh format(Autosaved)

अनिरुद्ध

(55)

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14) दिनांक–14.08.15 के कंडिका–(8) के आलोक मे पूर्व में प्रचलित प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र/प्रप्त्र को विलोपित करते हुए एक सरल एवं सुस्पस्ट प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र बनाया गया है जो निम्नवत् होगा :–

चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति प्रमाण पत्र

(1) सरकारी सेवक का नाम/पदनाम एवं कार्यालय/विभाग का नाम :–

(2) रोगी का नाम एवं सरकारी सेवक से संबंध :–

(3) रोग/बीमारी का नाम :–

(4) चिकित्सा कराये गये सरकारी /सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त/अन्य अस्पताल का नाम:–

(5) चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति :–

(क) अंतर्वासी चिकित्सा :–दिनांक–............................से दिनांक–..तक

(ख) बहिर्वासी चिकित्सा :–दिनांक–............................से दिनांक–..तक

(6) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नही, संस्थान/पद नाम :–

(7) सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा कराने की स्वीकृति (अनुमति)/घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है या नही :–

(8) चिकित्सा में हुए कुल व्यय राशि :–

चिकित्सारत संस्थान के अधीक्षक/निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर

सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

आदेश पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का दृढता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
यह आदेश ततकालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(यशस्पति मिश्र)
सरकार के उप सचिव।

d/r/ 2015 letter rajesh format(Autosaved)